उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-1
संख्या-1773/26-1-2025/1901314
लखनऊ: दिनांकः 11 अगस्त, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना यथा-छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी योजना, अन्तर्जातीय विवाह, उ०प्र० माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण अधिनियम-2014 के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वृद्धाश्रमों का संचालन एवं नियमावली-2014 के अंतर्गत समस्त कार्य, एन०जी०ओ०/अनुदान, अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही सहायता में वित्तीय अनियमितता करने, धनराशि का व्यपहरण करने एवं शासकीय क्षति की वसूली हेतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों/संस्थानों का उत्तरदायित्व निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आवेदक द्वारा योजनान्तर्गत ऑनलाईन किये गये आवेदन में प्रस्तुत साक्ष्यों की जॉच ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी (पंचायती राज विभाग)/ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/समाज कल्याण पर्यवेक्षक (स०क०) एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जाए। आवेदक के पात्र होने की पुष्टि किये जाने के उपरांत आवेदन का अग्रसारण उच्च स्तर पर किया जाए। भविष्य में यदि किसी जॉच में आवेदक योजना के लिए अपात्र पाया जाता है, तो इस कृत्य के लिए संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होगें, ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित कर वृहद दण्ड दिये जाने के साथ ही शासकीय क्षति के सापेक्ष संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से समानुपातिक रूप से शासकीय क्षति की वसूली हेतु कार्यवाही निर्धारित फार्मूले (संलग्नक-1) के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।

(2) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए योजनावार वार्षिक आय शासन द्वारा पृथक-पृथक निर्धारित की गई है। उक्त आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी किया जाता है। यदि किसी मामले में आय प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण जारी होता है और आवेदक अपात्र होते हुए भी आय प्रमाण पत्र के आधार पर योजना का लाभ पाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/कानूनगो/ लेखपाल इस कृत्य के लिए दोषी होंगे। अतः उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित कर वृहद दण्ड दिये जाने के साथ ही समानुपातिक रूप से शासकीय क्षति की वसूली निर्धारित फार्मूले (संलग्नक-1) के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।

(3) ऑनलाईन अग्रसारित किये गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों की पुष्टि जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय द्वारा भी की जाती है। अतः जॉच में यदि किसी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त होने के उपरांत अपात्र पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उक्त कृत्य के लिए दोषी होगें और उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित कर वृहद दण्ड दिये जाने के साथ ही समानुपातिक रूप से शासकीय क्षति की वसूली निर्धारित फार्मूले (संलग्नक-1) के अनुसार की जायेगी।

(4) योजनान्तर्गत अग्रसारित किये गये आवेदन की जाँच करने के उपरांत संबंधित आवेदक के खाते में अनुमन्य धनराशि का अंतरण निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाता है। अतः भविष्य में जॉच किये जाने पर कोई आवेदक अपात्र पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में योजना का कार्य देख रहे संयुक्त निदेशक/उप निदेशक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित कर वृहद दण्ड दिये जाने के साथ ही समानुपातिक रूप से शासकीय क्षति की वसूली निर्धारित फार्मूले (संलग्नक-1) के अनुसार की जायेगी।

(5) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों/अनुदानित विद्यालयों/राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पॉलीटेक्निक/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/अन्य संस्थानों में वित्तीय क्षति पाये जाने पर संबंधित संस्थान/विभागाध्यक्ष एवं आहरण-वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित कर वृहद दण्ड दिये जाने के साथ ही समानुपातिक रूप से शासकीय क्षति की वसूली निर्धारित फार्मूले (संलग्नक-1) के अनुसार की जायेगी।

(6) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अभिलेखों को परिवर्तित कर योजना के पैसे का व्यपहरण किया गया है, तो विधिक कार्यवाही के साथ ही व्यपहरण की गयी समस्त धनराशि की वसूली कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/78/83 का-1-88 दिनांक 22.03.1988 (संलग्नक-2) द्वारा निर्धारित व्यवस्था के क्रम में कार्यवाही की जायेगी।

(7) शासकीय क्षति/गबन की गयी धनराशि की वसूली संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन देयको से की जायेगी यदि उक्त देयको से वूसली की जानी संभव नहीं है तो कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/78/83 का-1-88 दिनांक 22.03.1988 में की गयी व्यवस्थानुसार अवशेष धनराशि की वसूली सिविल लायबिलटी के रूप में सक्षम न्यायालय के माध्यम से तत्काल करायी जायेगी।

(8) शासकीय क्षति की वसूली हेतु किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका निराकरण करते हुए शासकीय धनराशि की वसूली संबंधित से कराये जाने का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से लिया जाएगा।

2- उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाए।

संलग्नक: यथोक्त।

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 11-08-2025
10:52:10

(एल० वेंकटेश्वर लू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नियुक्ति/कार्मिक/वित्त/राजस्व/पंचायती राज/ग्राम्य विकास/अल्प संख्यक कल्याण/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास/ पिछड़ा वर्ग कल्याण/महिला एवं बाल विकास/विकलांग कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, अनु०जाति/अनु० जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. निदेशक, छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करापो० लि०, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० अनु० जाति वित्त विकास निगम लि०, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
9. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10. समस्त जिला मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
11. समस्त उप निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उ०प्र०।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-1773/26-1-2025/1901314 दिनांक: 11 अगस्त, 2025 के संलग्नक।

शासकीय क्षति/गबन में कई अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्मिलित होने की स्थिति में निम्न इंण्डेक्स/फार्मूले के अनुसार वसूली की कार्यवाही संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी:-

इंण्डेक्स/फार्मूला:-

कुल शासकीय क्षति= रू0 100

प्रथम अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन	A
द्वितीय अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन	B
तृतीय अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन	C
चतुर्थ अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन	D
चारों अधिकारियों/कर्मचारियों का कुल मूल वेतन	A+B+C+D

प्रथम अधिकारी/कर्मचारी से वूसली-	$\frac{100xA}{A+B+C+D}$
द्वितीय अधिकारी/कर्मचारी से वसूली-	$\frac{100xB}{A+B+C+D}$
तृतीय अधिकारी/कर्मचारी से वसूली-	$\frac{100xC}{A+B+C+D}$
चतुर्थ अधिकारी/कर्मचारी से वसूली-	$\frac{100xD}{A+B+C+D}$

उदाहरण:-

जैसे किसी मामले में शासकीय धनराशि रू0 100/- गबन/क्षति हुई है और 02/03 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित है, जिसमें प्रथम अधिकारी/कर्मचारी का वेतन रू0 3000/-, द्वितीय अधिकारी/कर्मचारी का वेतन रू0 2000/- एवं तृतीय अधिकारी/कर्मचारी का वेतन रू0 1000/- है तो शासकीय क्षति की वसूली निम्न फार्मूले/इंण्डेक्स से की जायेगी:-

प्रथम अधिकारी/कर्मचारी का काल्पनिक मूल वेतन-	3000
द्वितीय अधिकारी/कर्मचारी का काल्पनिक मूल वेतन-	2000
तृतीय अधिकारी/कर्मचारी का काल्पनिक मूल वेतन-	1000
तीनों अधिकारियों/कर्मचारियों का कुल काल्पनिक मूल वेतन-	6000

प्रथम अधिकारी/कर्मचारी से वूसली-	$\frac{100x3000}{6000}$	=50%
द्वितीय अधिकारी/कर्मचारी से वसूली-	$\frac{100x2000}{6000}$	=33.33%
तृतीय अधिकारी/कर्मचारी से वसूली-	$\frac{100x1000}{6000}$	=16.66%

Digitally signed by
RAJANI KANT PANDEY
Date: 11-08-2025
12:40:16

Civil Suit 22.03.88

संख्या/13/78/83 का-1-88

प्रेषक,

सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

(1) समस्त सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक: 22 मार्च, 1988

विषय:-सरकारी सेवकों द्वारा की गयी शासकीय धन की क्षति की सम्पूर्ण वसूली सुनिश्चित करना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

सरकारी धन का गबन या दुर्विनियोजन आदि होने पर दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उसके वेतन/पेन्शन/ग्रेच्युटी से कटौती करके शासकीय धन की क्षतिपूर्ति के प्राविधान सी०सी०ए० रूल्स/पनिशमेन्ट एण्ड अपील रूल्स फार सबार्डीनेट सर्विसेज/सी०एस०आर० के संगत नियमों में दिये गये हैं। कभी-कभी ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं जब सरकारी सेवक द्वारा की गयी शासकीय धन की क्षति की सम्पूर्ण वसूली उसके वेतन/पेन्शन/ग्रेच्युटी से कटौती करके संभव नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में सक्षम न्यायालय के माध्यम से उस सरकारी सेवक से सिविल लायबेल्टी के रूप में उक्त हानि की धनराशि को वसूल किये जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता।

2--अतः उपरोक्त प्रकार के मामलों में यह आवश्यक है कि प्रथम चरण में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वेतन/पेन्शन/ग्रेच्युटी से कटौती करके सम्पूर्ण धन की क्षति की वसूली संभव है अथवा नहीं। यदि यह संभव न हो तो तत्परता से सक्षम न्यायालय के माध्यम से उस सरकारी सेवक से सिविल लायबेल्टी के रूप में उक्त हानि की धनराशि वसूल करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि शासन को हुई आर्थिक क्षति की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति संभव हो सके।

3--मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्णित मामलों में उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जाय।

4--यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों को कृपया अपने अधीनस्थों की जानकारी में ला दें, ताकि वे भी तद्नुसार कार्यवाही कर सकें।

भवदीय,
सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव।

संख्या-सं. 13/78/83-का (1) 88, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जे० डी० पुरी,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 61 सा० नियुक्ति-8-4-88-(50)-8500 हि०।

Scanned with CamScanner